Watershed Development w.e.f. 1st April, 1995. The programme is being implemented under four schemes/programmes namely: Drought Prone Areas Programme/Desert Development Programme/Employment Assurance Scheme and Integrated Wastelands Development Projects Scheme.

In addition to the above schemes/ programmes, watershed development is one of the permissible items of work allowed under Jawahar Rozgar Yojana scheme

(b) and (c) The total funds available under Integrated Wastelands Development Projects Scheme/Drought Prone Areas Programme/ Desert Development Programme and Employment Assurance Scheme during 1998-99 is Rs. 2257.10 crores.

(d) and (e) The projects/programmes are continously monitored through periodical progress reports/review meetings/inspections at the level of District Rural Development Agencies/Zilla Parishads/State Governments as well as evaluted by the independent evalutors at times.

राष्ट्रीय पेयजल मिशन

1672. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री राज मोहिन्दर सिंह:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पेयजल की समस्या से ग्रस्त देश के क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था कायम करने के लिए राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना की गई थी,

(ख) यदि हां, तो इस मिशन की स्थापना कब की गई थी और मिशन द्वारा पेयजल परियोजनाओं के निर्माण पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है, और

(ग) क्या देश के अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था कायम करने के लिए आवश्यक व्यय राशि का कोई अनुमान लगाया गया है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय पेयजल मिशन वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का कार्यान्वयन करती रही हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में राजीव गांधी-राष्ट्रीय पेय जल मिशन के जरिए सहयोग देती है। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1998 तक ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया व्यय 9603.15 करोड़ रुपये हैं।

(ग) राज्य सरकारों ने नौंवी योजना के दौरान देश की सभी ग्रामीण बसावटों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 9149.12 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाएं

1673. **श्री राज मोहिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अनेक पेयजल परियोजनाएं निर्माणधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1998 तक निर्माणाधीन इन परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है;

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और कितनी धनराशि की आवश्यकता होने का अनुमान है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील): (क) से (ग) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकार के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की प्रणाली की तरह त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तिगत जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने और उनका कार्यान्वयन करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। इसीलिए निर्माणाधीन परियोजनाएं आदि जैसी जानकारी केन्द्र स्तर पर नहीं रखी जाती हैं। राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ग्रामीण बसावटों को दिसम्बर, 1998 तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में 23191.46 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।